न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : दीपक मेहता, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 6/15 (वाद)

1. श्री पृथ्वीराज पिता गणपतलाल, गुर्जर, उम्र 40 वर्ष, निवासी वाडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती रामुबाई पत्नी पुष्कर लाल गुर्जर, निवासी वाडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

...........वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर सा. उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली।

..............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री रमेश चन्द्र बडाला, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री मदनलाल त्रिपाठी अधिवक्ता प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

निर्णय

दिनांक : 22.02.2019

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि मौजा बाबरियाखेडा, पटवार हल्का आमली की आराजी संख्या 178 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भमि स्थित होकर राजस्व अभिलेखों में बिलानाम काबिल काश्त का अंकन होकर भूमि का जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 की जमाबन्दी पेश है।
2. यह कि वादी उसके पूर्णधिकारी भूमिहीन काश्तकार होने से उक्त वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वण्रित भूमि पर रामा, हमराज गुर्जर के वक्त से कब्जा चला आ रहा है। हेमराज फौत होने के बाद उसके लडके रामा व रामा के फौत होने के बाद गणपतलाल का उसके फौत होने पर उसके पुत्र वादी का 1/2 हिस्से पर 1/2 हिस्से पर कालु पिता राम गुर्जर जीवित रहे उनका व उनके मरणोपरान्त रामीबाई पत्नी पुष्कर लाल वादी संख्या 2 को कब्जा हो उनके भूगत भोग में चली आ रही है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

3. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में दर्शित भूमि विगत 40 वर्षों से भी अधिक समय से वादीगण के परिवार का निरन्तर निराबोध कब्जा चला आ रहा होकर भूमि उनके उपयोग उपभोग में निरन्तर चली आ रही है।

4. यह कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में दर्शित भूमि पहले अकृषि योग्य थी जिसको वादीगण के पूर्वजों ने काफी अर्थ व श्रम खर्च कर नवतोड से भूमि कृषि योग्य करने के लिए भूमि समतल कराई मेडबन्दी करा भूमि में उपजाउ काली मिट्‌टी भरा भूमि कृषि योग्य बनाई व कृषि कर पैदावार लेते आ रहे है यह कृषि भूमि ही वादीगण के परिवार की राजीरोटी का एक मात्र सहारा है। जिससे वादीगण उक्त भूमि पर 40 वर्षों से भी अधिक समय से निरन्तर निाबाध उक्त भूमि पर स्वतन्त्र आधिपत्य हो भूमि पर काश्त कर पैदारवार लेते चले आ रहे है। जिससे वादीगण वादग्रस्त भूमि अपने नाम अंकन कराने बावत् खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने की अधिकारी होकर भूमि के खातेदार कृषक बन चूके है।

5. यह कि प्रतिवादी पक्ष राज्य सरकार को विधि अनुरूप व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के तहत 60 दिवसीय पंजीकृत चेता पत्र प्रेषित किया जो उन्हे मिलने के बाद भी विधि द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवादी पक्ष ने वादग्रस्त भूमि उनके नाम अंकन कराने बाबत् कोई जवाब नही दिया नही कोई प्रभावी कार्यवाही की है जिससे व्यथ्ति हो वादी को वांछित अनुतोष प्राप्ति हेतु चेतना पत्र की विदित अवधि सामप्त होने पर यह वाद प्रतिवादी के पक्ष विरूद्ध वांछित अनुतोष प्राप्त करने के लिये प्रस्तुत किया जा रहा है।

6. अतः प्रार्थना है कि वादी के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि आराजी नम्बर 178 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि का वादीगण को हिस्से बराबर से खातेदार काश्तकार घोषित फरमा, वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अंकन कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावें। वाद व्यय व अन्य अनुतोष जो वादीगण को धारा 209 आर.टी.ए. के तहत मिल सकती हो दिलाई जावें।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

7. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की तरफ से पैनल अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि –

(1) यह कि वादीगण ने वादपत्र की कलम संख्या 1 के कथनानुसार मौजा बाबरियाखेडा, पटवार सर्कल आमली, तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 178 रकबा 6 बीघा 5 बिस्वा भूमि राजस्व अभिलेख में बिलानाम गैर काबिल काश्त का अंकन है। जिसे वादीगण ने लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है।

(2) यह कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जमाबन्दी व बिलानाम भूमि पर किये गये अतिक्रमण को तहसीलदार मावली ने समय समय पर भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत बेदखल किया जाता रहा है। जिससे भी स्पष्ट है कि वादीगण का विवादित भूमि पर नियमित रूप से व शांतिपूर्वक बिना किसी बाधा के आधिपत्य नही रहा है।

(3) यह कि राजकीय भूमि पर लम्बे कब्जे के आधार पर या एडवर्स पजेसन के आधार पर अतिक्रमी वादीगण को किसी प्रकार का कोई अनुतोष नही दिया जा सकता है।

(4) अतः प्रार्थना है कि प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जावें।

8. प्रतिवादीगण के प्रार्थना पत्र का वादी द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि:–

(1) प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 का जवाब है कि इस कलम में अंकित तथ्य सही होने से स्वीकार है।

(2) प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 का जवाब है कि इस कलम में वर्णित कथन सम्पूर्ण वादपत्र की किसी भी कलम में कोई शब्द अंकित नही है। मात्र प्रतिवादी का प्रतिवाद है। प्रतिवादी की प्रतिरक्षा के कथनों को आधार बना प्रतिवादी ने यह प्राथ्रना पत्र प्रस्तुत किया जो किसी भी सूरत में चलने योग्य नही है। वादी का वाद कौनसे अभिकथन से एवं किस विधि से दावा विधि से वर्जित होने से पोषणीय नही है ऐसा कोई कथन प्रार्थना पत्र में अंकित नही किया है। न ही प्रतिवाद में ही उक्त उजीरात प्रतिवादी द्वारा उठाए है। हस्तगत मामले में वादी के कथनों एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा तनकीयात् विरचित की जाकर वादी की और से वाद में अपने गवाही शुरू करदी है। जिससे भी माननीय न्यायालय को साक्ष्य सबुत के आधार पर ही वाद में अन्तिम विनिश्य होगा। जिससे भी प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से निरस्ती योग्य है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

(3) प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 3 का जवाब है कि इस कलम में वर्णित वाद के पठन से भी स्पष्ट है कि वाद पत्र में उक्त कथन दर्शित नही है, मात्र प्रतिवादी का प्रतिवाद है।

(4) यह कि वाद पत्र में तनकीयात् (विविद्यक) विरचित किये जा चुके है व वादी की साक्ष्य प्रारम्भ हो चुकी है जिससे लॉ एण्ड फेक्ट के तथ्यों का निस्तारण साक्ष्य सबूत से ही किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादी को यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का ही कानूनी अधिकार नही होने से प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें। यह कि प्रतिवादी प्रतिवाद को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के लिए प्रतिवादी ने जो आधार बना यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है कि प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस में तर्क दिया कि प्रार्थना पत्र के तहत् वादी के वाद को देखा जायेगा। उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत् नहीं आता हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता वादीगण ने अपने पक्ष में न्यायिक नजीर DNJ 2011 (3) (Raj) Page 166, RRD 2013 Page 1, RRD 2010 Page 737, RRD 2003 Page 89 प्रस्तुत की।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। हमने दोनो पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने। प्रार्थना पत्र का अध्ययन किया। सर्वप्रथम यह देखना है कि सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 मे क्या प्रावधान है जो निम्न प्रकार है–**वादपत्र का नामंजूर किया जाना– वादपत्र निम्न लिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जाएगा।**

(क)जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर, जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसे करने में असफल रहता है।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में दाखिल नहीं किया जाता है।

(च) जहां वादी नियम 9 के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहता है।

11. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का सदभावना पूर्वक अवलोकन किया। वाद पत्र का अवलोकन किया। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी घोषणा का प्रतिवादी के विरूद्ध पेश किया गया है। वादग्रस्त भूमि वर्तमान में राजस्व अभिलेख में बिलानाम काबिल काश्त दर्ज है। उक्त भूमि कभी भी वादीगण अथवा वादीगण के मौरूस के नाम दर्ज रही हो ऐसा कोई उल्लेख वादीगण द्वारा वादपत्र में नही किया गया है न ही इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज पेश किये गये है। वादीगण द्वारा वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि पर चालिस वर्षो से भी अधिक समय से निर्बाध कब्जा काश्त होने से खातेदारी अधिकारों की घोषणा चाही है। पुराने/प्रतिकुल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नही है। सिर्फ धारा 63 (1), (4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के प्रावधान ही हैं। आर.आर.टी. 2011 पेज 721 के वृहत् पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती हैं। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान ही नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर.आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना हैं। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं। अतः वादीगण का वाद बार्ड बाई लॉ होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत् स्वीकार योग्य पाया जाता है।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा. दी. का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

–: आदेश :–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Scanned by CamScanner

डिकी व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक),मावली जिला उदयपुर

बईजलास दीपक मेहता, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 6/15 (वाद)

1. श्री पृथ्वीराज पिता गणपतलाल, गुर्जर, उम्र 40 वर्ष, निवासी वाडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।
2. श्रीमती रामुबाई पत्नी पुष्कर लाल गुर्जर, निवासी वाडी, तहसील मावली, जिला उदयपुर।

............वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर सा. उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य भूमिधारी जरिये तहसीलदार मावली।

..............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 जा.दी.

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु दीपक मेहता R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि:–

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. एवं धारा 151 जा.दी. का स्वीकार किया जाने से वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकर कर खारिज किया जाता हैं।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 22.02.2019 को जारी की गई।

(दीपक मेहता)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) मावली

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली

सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner